

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 21 / 2022

बउनवान

रमेश आयु 70 वर्ष पुत्र गंगाराम, जाति मेघवाल, निवासी पाठेडा, तहसील व जिला बारां (राज०)
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज०) (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री दिलीप सिंह सिरोहिया, अभिभाषक (अपीलांट)
2. परोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 15.11.2022

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 28.02.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम पाठेडा तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 1418 रकबा 0.20 है., किस्म-चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 110 /- रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा तावान की राशि भी जमा करवा दी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.02.2022 निरस्त किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस हेतु नियत की गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में हमने परोकार सरकार की एकपक्षीय बहस समाप्त कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

परोकार सरकार ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित

**जिला कलक्टर
बारां (राज०)**




अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांत बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांत विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को पूर्व में भी उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1323/2021 निर्णय दिनांक 22.02.2021 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने एकपक्षीय बहस पेटोकार सरकार पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। पटवारी हल्का के बयान से पाया जाता है कि विवादित आराजी पर अपीलांत पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1418 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म-चारागाह ग्राम पाठेडा पर सम्वत् 2077 में भी अतिक्रमण करने पर प्रकरण संख्या 1323/2021 में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2021 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांत की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 166/2022 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।


(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,
बारां (सपठ)